22 प्र/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/0423

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ–रीवा,

...ीवा (म0प्र0)

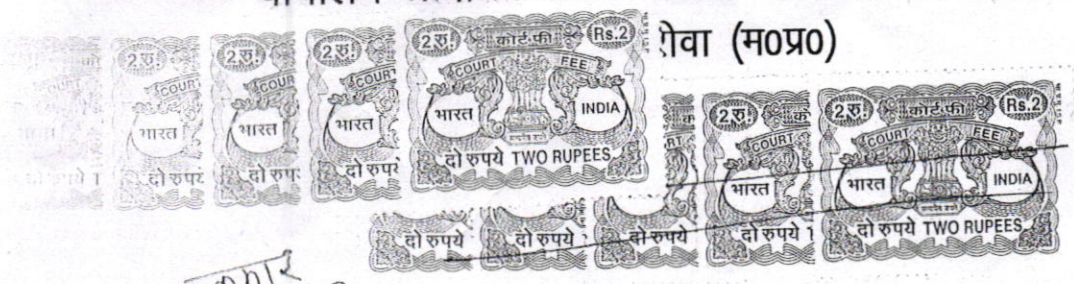

रामसुन्दर मुड़हा पिता तिलकधारी मुड़हा उम्र–55 वर्ष पेशा–नौकरी पी. डब्लू.डी. विभाग निवासी ग्राम पाली 301, तहसील–सिरमौर जिला–रीवा म0प्र0

............आवेदक / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– संगीता शुक्ला पति राजेश्वर प्रसाद शुक्ला पेशा–कृषि एवं नौकरी, निवासी ग्राम–पाली 301, तहसील–सिरमौर जिला–रीवा म0प्र0

2– संतोषी देवी पति श्रीधर गौतम उम्र–45 वर्ष, पेशा–गृहकार्य

3– लीलावती पति प्रमोद कुमार मिश्र उम्र–44 वर्ष, पेशा–गृहकार्य

प्रत्यर्थी 2, 3 निवासी ग्राम–जामू, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा म0प्र0

...............अनावेदक / गैरनिगराकारगण

न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर श्री मधुकर अग्नेय के प्रकरण कमांक–1251 / अपील / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 के विरूद्ध निगरानी

म0प्र0भू0रा0सं0 धारा 50 के अधीन निगरानी याचिका

आवेदक / निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:–

1– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/423

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1251/16-17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14–12–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के प्रकरण कमांक 46 अ–6/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–7–17 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा अपील प्रस्तुत की है जिसमें श्रीमती संतोषी एंव श्रीमती लीलावती ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर हितबद्व होना बताते हुये पक्षकार बनाये जाने की मांग की है। अपर आयुक्त ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 14–12–2017 से विनिश्चत किया है कि दिनांक 14–2–08 को सुशीला देवी के व्दारा श्रीमती संतोषी एंव श्रीमती लीलावती के पक्ष में बसीयत का निष्पादन कराया था तथा इसी बसीयत को निरस्त करने हेतु दिनांक 7–9–09 को आवेदन पेश हुआ है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने दोनों को हितबद्व पक्षकार मानते हुये व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया है । अपर आयुक्त के समक्ष सुनवाई में दोनों ही पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है। फलतः निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	